संख्या– 715/एक–10–2020–33(06)/2020

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
भदोही।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 15 · 23·10·220

विषयः–कोविड–19 के वायरस के संक्रमण से स्व0 श्री विवेक त्रिपाठी मुख्य विकास अधिकारी, भदोही की ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, भदोही के पत्र सं0–157/आपदा लिपिक/2020–21 दिनांक 08.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि मृतक श्री विवेक त्रिपाठी मुख्य विकस अधिकारी, भदोही के पद पर कार्यरत थे, जिनको कोविड–19 की रोकथाम, बचाव व उपचार हेतु जनपद भदोही में एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का प्रभारी नोडल अधिकारी बनाया गया था एवं लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित सहायता कोष से दिहाडी मजदूरी करने वाले समाज के कमजोर एवं प्रवासी मजदूरों तक पहुचाने आदि कार्यों के सम्पादन हेतु श्री विवेक त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी, भदोही की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के कार्यों के सम्पादन के दौरान ही श्री त्रिपाठी द्वारा कोरोना का परीक्षण एन्टीजेन किट से कराया गया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 22–09–2020 को कोराना पाजिटिव पायी गयी। राजस्व विभाग के शासनादेश सं0–249/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 **50,00,000/– (रू0 पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, भदोही के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस ध नराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उत्पन्न कराना तथा इसका सदपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। प्रदत्त धनराशि का पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित

लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाय।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by संजय गोयल
Date:Fri Oct 23 16:05:30 IST 2020
Reason:Approved

(संजय गोयल)
सचिव।

<u>**संख्या–715(1)/एक–10–2020–33(06)/2020 तद्‌दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मण्डलायुक्त, विंध्याचल मण्डल, मिर्जापुर, उ0प्र0।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, भदोही, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-26/10/2020

प्रेषण संख्या:- 715
आवंटन आदेश संख्या:- 174-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 67500000	5000000 67500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 67500000	5000000 67500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ पचहत्तर लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ०प्र० शासन